तारीख [illegible] हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
11-06-24	पत्रावली पेश हुई। वादीगण उपस्थित। पूर्व में प्रस्तुत पटवारी मौका रिपोर्ट शामिल पत्रावली किया। वादीगण के साक्ष्य शपथ पत्र पेश किए गए शामिल पत्रावली किया। पत्रावली पर वादीगण अधिवक्ता की बहस सुनी व बहस पर मनन किया। वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाता है। निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया। पत्रावली फैसल शुमार होकर प्रकरण दर्ज नम्बर से कम होकर बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी लाखेरी (बून्दी)	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, लाखेरी जिला–बून्दी(राज0)

दावा संख्या 123/2022 — पीठासीन अधिकारी

दायरा दिनांक 17.10.2022 — श्री कैलाश चन्द गुर्जर(RAS)

बउनवान

1. द्वारका प्रसाद पुत्र बजरंग लाल जाति नाई निवासी घाट का बराणा हाल निवास केशवराय पाटन जिला बून्दी, राजस्थान।
2. राकेश पुत्र बजरंग लाल जाति नाई निवासी घाट का बराणा हाल निवास केशवराय पाटन जिला बून्दी, राजस्थान।

—वादी

बनाम

1. महावीर पुत्र कालु जाति नाई जाति नाई निवासी घाट का बराणा हाल निवास केशवराय पाटन जिला बून्दी, राजस्थान।
2. सत्यनारायण पुत्र कालु जाति नाई जाति नाई निवासी घाट का बराणा हाल निवास केशवराय पाटन जिला बून्दी, राजस्थान।
3. हेमराज पुत्र रामप्रसाद जाति नाई जाति नाई निवासी घाट का बराणा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी, राजस्थान।
4. प्रेमशंकर पुत्र रामप्रसाद जाति नाई जाति नाई निवासी घाट का बराणा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी, राजस्थान।
5. रूपशंकर पुत्र रामप्रसाद जाति नाई जाति नाई निवासी घाट का बराणा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बूंन्दी, राजस्थान।
6. गीताबाई बेवा रामप्रसाद जाति नाई जाति नाई निवासी घाट का बराणा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी, राजस्थान।
7. राममूर्ति पुत्री रामप्रसाद जाति नाई जाति नाई निवासी घाट का बराणा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी, राजस्थान।
8. राजेश पुत्र बजरंगलाल जाति नाई जाति नाई निवासी घाट का बराणा हाल निवास केशवराय पाटन जिला बून्दी, राजस्थान।
9. उर्मिता पुत्री बजरंगलाल जाति नाई जाति नाई निवासी केशवराय पाटन जिला बून्दी, राजस्थान।
10. सीमा पुत्री बजरंगलाल जाति नाई जाति नाई निवासी केशवराय पाटन जिला बून्दी, राजस्थान।
11. जानकीबाई बेवा बजरंगलाल जाति नाई जाति नाई निवासी केशवराय पाटन जिला बून्दी, राजस्थान।
12. सोसर बाई पुत्री कालु जाति नाई जाति नाई निवासी केशवराय पाटन जिला बून्दी, राजस्थान।
13. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राजस्थान।

—प्रतिवादीगण

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

वाद – अधिकार घोषणा पत्र, बंटवारा व स्थायी निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 88,89,136 आ0टी0एक्ट
अधिवक्ताः– 1. श्री महेन्द्र रेबारी (अधिवक्ता वादीगण)
2. प्रतिवादीगण 1 लगायत 13(अनुपस्थित)

निर्णय दिनांकः–11.06.2024

वादी द्वारा अन्तर्गत धारा 88,89,136 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् वाद पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि कृषि भूमि खसरा संख्या 813 रकबा 0.70है0, 815 रकबा 0.82है0, वाके ग्राम घाट का बराणा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राजस्थान में स्थित है। जिसके सहखातेदार टीनेन्ट वादीगण एवं प्रतिवादीगण है जो अपने हिस्से के अनुसार काबिज काश्त है। उक्त कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादी संख्या 1 का नाम द्वारकीलाल दर्ज हो रहा है जबकि सरकारी दस्तावेज यथा आधारकार्ड, मार्कशीट इत्यादि में द्वारकाप्रसाद अंकित है। इसी प्रकार वादी सं 2 का नाम राजस्व रिकार्ड में सोनू कुमार पुत्र बजरंगलाल दर्ज हो रहा है। जबकि सरकारी दस्तावेज यथा आधारकार्ड, मार्कशीट इत्यादि में राकेश कुमार अंकित हो रहा है। वादीगण के पिता बजरंगलाल की मृत्यु के बाद फौती इन्तकाल खौला उसमें गलत अंकन कर दिया है इसलिए वादीगण को सरकारी योजनाओं में फायदा लेने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। दिनांक 30.09.2022 को प्रतिवादी सं 13 के समक्ष भी निवेदन किया कि मेरा नाम को दुरूस्त कियां जावें और मेरा सही नाम दर्ज किया जावें लेकिन मना कर दिया और कहा कि न्यायालय में वाद दायर कर सही करावे। यही वाद का कारण है। वाद में प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 12 वादीगण के भाई व बहिन व चाचा होने से फोरमल पक्षकार बनाया गया है। इनके विरूद्व वादीगण द्वारा कोई रिलीफ नहीं मांगी जा रही है। अन्त में वादीगण द्वारा प्रार्थना की गई कि वाद वर्णित कृषि भूमि वाके ग्राम घाट का बराणा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी के राजस्व रिकार्ड में अंकित द्वारकीलाल की बजाय वादी द्वारका प्रसाद पुत्र बजरंगलाल व सोनू कुमार की बजाय राकेश पुत्र बजरंग लाल जाति सैन नाम अंकित किया जावे।

वादीगण का वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण 1 लगायत 12 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। वादीगण द्वारा वाद पत्र में अंकित किया गया है कि प्रतिवादीगण 1 लगायत 12 के विरूद्व कोई राहत नहीं चाही गयी है। प्रतिवादी सं 13 तहसीलदार इन्द्रगढ़ से जवाब चाहा गया। तहसीलदार इन्द्रगढ़ की तरफ पटवारी घाट का बराणा द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट में जाहिर किया गया कि जमाबंदी 2072–75 ग्राम घाट का बराणा खाता संख्या 108 वाद वर्णित आराजी में दर्ज नाम द्वारकीलाल एवं द्वारका प्रसाद दोनों नामों से जाना जाता है इसी प्रकार सोनु कुमार पुत्र बजंरगलाल का वास्तविक नाम राकेश पुत्र बजरंगलाल है जिसे बोलचाल की भाष में सोनु कहा जाता है। द्वारकीलाल और द्वारका प्रसाद एवं सोनु और राकेश दोनों एक ही व्यक्ति है। पत्रावली में साक्ष्यवादी करवाये गये। वादीगण का पीडब्लू 1, पीडब्लू 2 का साक्ष्य शपथ पत्र पेश किया। पत्रावली में वादीगण अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। बहस समाहत पत्रावली की गयी।

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

हमने विद्वान अधिवक्ता की बहस को सुना व मनन किया। पत्रावली में उपस्थित जवाब, दस्तावेज का अवलोकन किया गया। जमाबंदी सम्वत् 2072–75 के अवलोकन करने पर अवगत हुआ कि खाता संख्या नया 108 खसरा संख्या 813 रकबा 0.70 है0, खसरा संख्या 815 रकबा 0.82है कुल किता 2 कुल रकबा 1.52 है0 वाके ग्राम घाट का बराणा में वादी सं 1 का नाम, द्वारकीलाल पुत्र बजरंगलाल तथा वादी सं 2 का सोनूकुमार पुत्र बजरंगलाल प्रत्येक का हिस्सा 1/30 अंकित है। तहसीलदार इन्द्रगढ़ द्वारा प्रस्तुत पटवारी मौका रिपोर्ट के अनुसार द्वारकीलाल और द्वारका प्रसाद दोनों एक ही व्यक्ति है एवं इसी प्रकार सोनु और राकेश दोनों एक ही व्यक्ति है। पत्रावली में उपलब्ध सरपंच, घाट का बराणा में प्रमाण पत्र संख्या 510 दिनांक 02.07.2022 में यह तस्दीक किया गया है कि द्वारका प्रसाद सेन उर्फ द्वारकीलाल पुत्र बजरंग लाल एक ही व्यक्ति है इसी प्रकार राकेश कुमार सेन उर्फ सोनूकुमार पुत्र बजरंग लाल निवासी घाट का बराणा एक ही व्यक्ति है। मै इन्हे व्यक्तिगत रूप से जानता हुँ। सरकारी दस्तावेज यथा आधारकार्ड, मार्कशीट में वादी सं 1 का नाम द्वारका प्रसाद सेन पुत्र बजरंग लाल सेन तथा प्रतिवादी सं 2 का नाम राकेश कुमार सेन पुत्र बजरंग लाल सेन अंकित है। उक्त दस्तावेजों एवं पक्षकारों के अभिवचनों से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे है कि वादीगण का वाद स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः वादी का वादपत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार इन्द्रगढ़ को आदेशित किया जाता है कि जमाबंदी खाता संख्या नया 108 खसरा संख्या 813 रकबा 0.70 है0, खसरा संख्या 815 रकबा 0.82है कुल किता 2 कुल रकबा 1.52 है0 वाके ग्राम घाट का बराणा के राजस्व रिकार्ड में वादीगण के नाम में संशोधन किया जाकर वादी सं 1 का नाम द्वारकीलाल के स्थान पर द्वारका प्रसाद उर्फ द्वारकीलाल पुत्र बजरंगलाल व वादी सं 2 का नाम सोनू कुमार के स्थान पर राकेश उर्फ सोनू पुत्र बजरंगलाल अंकित किया जावे। शेष इन्द्राज बदस्तूर जमाबंदी रहेगें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय लिखवाया जाकर आज दिनांक 11.06.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी(बून्दी)